सर्वोच्च प्राथमिकता

डीजी परिपत्र संख्या - 01 /2016

जावीद अहमद
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांक : लखनऊ : जनवरी 08, 2016

विषय : Social Networking Sites के माध्यम से समाज विरोधी गतिविधियों पर अंकुश/कार्यवाही के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय,

आप अवगत है कि वर्तमान समय में Social Networking Sites ने समाज में विचारों और सूचनाओं के आदान-प्रदान में क्रान्तिकारी परिवर्तन किया है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी Social Media का प्रभाव काफी बढ़ा है। Social Networking Sites से एक तरफ जहां बड़ी संख्या में लोग अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं, वहीं इसकी व्यापकता तथा शीघ्रता से लोगों तक पहुंच के कारण इसका दुरूपयोग धार्मिक उन्माद फैलाने, दूसरे धर्म के प्रति लोगों में द्वेष पैदा करने, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने, अश्लील वीडियो Upload करने विशेषकर महिलाओं/युवतियों को ब्लैकमेल करने के उद्‌देश्य से तथा दुष्प्रचार फैलाने आदि के लिए भी किया जा रहा है। विगत में अनेक ऐसे दृष्टांत सामने आये हैं, जिनमें Social Networking Sites के माध्यम से लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़कायी गयी हैं, जिनकी परिणति गम्भीर कानून-व्यवस्था संबंधी समस्या उत्पन्न होने के रूप में हुई है। Social Networking Sites के रूप में Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, Instagram, Google+ इत्यादि Sites का प्रयोग इस दुष्प्रचार के लिए किया जा सकता है।

परिपत्र संख्या-44/2013, दिनांक 05.08.2013
परिपत्र संख्या-डीजी-8-94(122)2013, दिनांक 10.09.2013
परिपत्र संख्या-डीजी-51/2013, दिनांक 14.09.2013
परिपत्र संख्या-डीजी-48/2015, दिनांक 28.06.2015

इस मुख्यालय द्वारा Social Networking Sites के दुरूपयोग के संबंध में पार्श्वांकित परिपत्र निर्गत किये गये हैं। इन सभी परिपत्रों में Social Networking Sites के Proactive Surveillance,

Page/Profile को Block (अवरूद्ध) करने एवं इनका दुरूपयोग करने वाले व्यक्तियों का पता लगाये जाने के संबंध में प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया गया है।

Social Networking Sites के दुरूपयोग को रोकने के उद्देश्य से प्रदेश में 02 स्थानों -

(1) कार्यालय पुलिस उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ

(2) एस.टी.एफ. कार्यालय, लखनऊ

में Social Media Command and Research Centre (SMCRC) की स्थापना की गयी है। इनके माध्यम से Social Networking Platforms जैसे Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Google+, Flickr विभिन्न Websites Forum एवं Blogs आदि Sites पर संदेशों के Trends (रूझान) monitor किये जा रहे हैं एवं Originator (प्रणेता) का पता करने का प्रयास किया जा रहा है।

उद्देश्यः-

इन Trends (रूझान) का विश्लेषण कर इनसे हो सकने वाली कानून-व्यवस्था की समस्याओं का आंकलन किया जा सकता है। तद्नुसार संबंधित जनपदों को इस संबंध में सचेत कर अभिसूचना संकलन व पुलिस प्रबन्ध करने हेतु निर्देशित किया जा सकता है। साथ ही सोशल मीडिया पर पायी जाने वाली आपत्तिजनक एवं भड़काऊ प्रतिक्रिया का खण्डन पुलिस द्वारा सोशल मीडिया, समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सही तथ्यपरक जानकारी प्रसारित करके किया जा सकता है।

ढांचा (Structure) :-

शुरूआत में SMCRC केन्द्र पर कार्य हेतु सभी परिक्षेत्रीय कार्यालयों, मेरठ परिक्षेत्र के सभी जनपदों एवं यातायात निदेशालय का Login ID एवं Password बनाया गया है, जिसका विवरण **संलग्नक-'क'** पर संलग्न है। भविष्य में प्रदेश के अन्य जनपदों को भी Login ID व Password दे दिये जायेंगे।

तकनीक (Technique) :-

वर्तमान में SMCRC द्वारा Advance Application for Social Media Analytics (AASMA) Tool का प्रयोग कर Social Media से संबंधित जानकारी की monitoring एवं analysis की जा रही है। SMCRC को Access (एक्सेस) करने के लिए किसी Web Browser में address bar में **IP address : http://117.247.225.218:3389** टाइप कर Login करना होता है। इसके उपरान्त सोशल मीडिया में जिस विषयवस्तु (Topic) पर मॉनीटरिंग की जानी है, उससे संबंधित Key words (कुंजी शब्द) संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफार्म (Social Media Platform) जैसे-Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Flickr एवं Google+ आदि पर Type किया जाना होगा। Key words (कुंजी शब्द) टाइप करते ही संबंधित सोशल मीडिया पर उससे संबंधित जो भी विषय Post होगा, वह सामने आ जायेगा, जिसका विश्लेषण कर समुचित प्रयोग किया जा सकता है।

कार्यवाही (Action) :-

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक/भड़काऊ पोस्ट पाये जाने पर निम्न कार्यवाही की जायेगी:-

1. Monitoring (**निगरानी**) - सोशल मीडिया सेन्टर पर कार्यरत पुलिस कर्मियों द्वारा सोशल मीडिया पर चल रहे Trends (रूझान) की सतत निगरानी की जायेगी और आपत्तिजनक, संवेदनशील प्रकार के पोस्ट/संदेशों के सम्बन्ध में जनपद के पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया जायेगा।
2. Rebuttal (**खण्डन**) - सभी प्रकार के Objectionable (आपत्तिजनक) Page/Profile का तत्काल खण्डन Digital Volunteers एवं अन्य माध्यमों से किया जायेगा।
3. Blocking (**बन्द करना**) - आपत्तिजनक एवं भड़काऊ Page/Profile/Message पाये जाने पर इन्हें ब्लाक करने के लिए **धारा 91 सीआरपीसी** के अन्तर्गत नोटिस देते हुए निम्न कार्यवाही की जायेगी:-

A. (i) सबसे पहले इनका URL Address Bar से कापी कर लिया जाये।

(ii) सम्बन्धित विवादित URL/मैसेजेस का फोटो/स्क्रीनशॉट ले लिया जाये।

(iii) सम्बन्धित URL का Creation I.P. Address एवं पोस्ट करने वाले व्यक्ति के Profile के बारे में सूचनायें प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित सोशल नेटवर्किंग साइट के Administrative Officer को E-mail कर दिया जाये।

(iv) Social Media Sites से सूचना प्राप्त करने एवं Block करने हेतु निम्न E-mail ID पर E-mail किया जायेगाः-

Social Networking Sites	E-mail ID
TWITTER	tw-le-requests@twitter.com
FACEBOOK	records@fb.com
YOUTUBE	lis-apac@google.com
GOOGLE+	lis-apac@google.com
INSTAGRAM	इस Site पर Abuse Report सीधे Website पर उपलब्ध Form भरकर प्रेषित की जा सकती है।
FLICKR	इस Site पर आपत्तिजनक विषयवस्तु के संबंध में Abuse Report प्रेषित करनी होगी।

(v) E-mail करते समय विवादित पोस्ट का स्क्रीनशॉट एवं राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त अनुरोध पत्र को E-mail के साथ संलग्न कर भेजा जाये।

B. भारत में सम्बन्धित आपत्तिजनक पोस्टर/मैसेज का Public Access तत्काल ब्लाक कराने के लिए दूरसंचार एवं सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार में गठित Computer Emergency Response Team (C.E.R.T.) को E-mail करके मदद ली जाये, जिसका E-mail address -- incident@cert-in.org.in है।

C. आपत्तिजनक Page/Message के Profile एवं समस्त अन्य विवरण यथा Complete Profile Creation, I.P. Address आदि का सम्पूर्ण विवरण

साक्ष्य के उद्देश्य से प्राप्त करने हेतु मा. न्यायालय से Letter Rogatory (LR) प्राप्त कर सी.बी.आई. के इण्टरपोल विंग के माध्यम से Mutual Legal Assistant Treaty के तहत सूचना प्राप्त की जायेगी।

4. FIR Registration (**प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकरण**) - प्राप्त सूचना का विश्लेषण कर आई.टी. एक्ट एवं भा.द.वि. की सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी जायेगी।

प्रत्येक स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही :

1) **जनपद स्तर :** जनपद में संदेहास्पद/आपत्तिजनक संदेश किसी भी माध्यम (Twitter, WhatsApp, YouTube इत्यादि) से संज्ञान में आते ही क्राइम ब्रांच की सर्विलांस सेल द्वारा कार्यवाही शुरू की जाएगी।

a) इस कार्य हेतु प्रत्येक सर्विलांस सेल से 02 पुलिसकर्मी प्रशिक्षित कराये जायेंगे।

b) क्राइम ब्रांच में ऐसे संदेश प्राप्त होने पर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में लाया जायेगा एवं यदि मामला गंभीर एवं आपराधिक प्रकृति का है, तो वे क्षेत्राधिकार की चिन्ता किये बिना उसके संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) पंजीकृत करायेंगे एवं इसकी सूचना परिक्षेत्र एवं जोनल स्तर पर भी प्रेषित करेंगे। इस प्रकार के सभी संदेशों को रिकार्ड के रूप में संकलित किया जायेगा एवं उसका बैकअप (Backup) भी रखा जायेगा।

c) पुलिस द्वारा की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) की जानकारी मीडिया/प्रेस/सोशल मीडिया आदि के माध्यम से जनता तक पहुंचाई जाएगी एवं अफवाहों का खण्डन किया जायेगा।

Digital Volunteers (डिजिटल वॉलेन्टियर्स) :-

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक एवं भ्रामक सामग्री का खण्डन (Rebuttal) करने हेतु पुलिस के सहयोगी के रूप में जनता के लोगों में से Digital Volunteers बनाए जाएंगें। ये Digital Volunteer विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) या शांति समिति के सदस्यों की भांति कार्य करेंगे। Digital Volunteer उन लोगों को बनाया जायेगा, जो सोशल मीडिया का सामान्य तौर पर प्रयोग करते हैं एवं इन्टरनेट पर सक्रिय रहते हैं। इनमें इन्टरनेट पर सक्रिय पुलिसकर्मी भी जोड़े जा सकते हैं। ऐसे भ्रामक तथ्यों के खण्डन एवं सही तथ्यों को Digital Volunteers के सहयोग से भी सोशल मीडिया पर प्रचारित-प्रसारित किया जायेगा।

2) **परिक्षेत्रीय स्तर :**

परिक्षेत्रीय उपमहानिरीक्षक अपने कार्यालय में 02 पुलिसकर्मी नियुक्त करेंगे, जो SMCRC के माध्यम से परिक्षेत्र के समस्त जनपदों में चल रही Trends (रूझान) का अवलोकन करेंगे एवं उससे परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक को अवगत करायेंगे। यदि परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक के संज्ञान में ऐसी कोई सामग्री आती है, जिसका प्रभाव अन्य जनपदों पर भी पड़ सकता है तो वे संबंधित को भी इससे अवगत कराते हुए समुचित कार्यवाही करायेंगे एवं जोनल पुलिस महानिरीक्षक को भी सूचित करायेंगे।

3) **जोनल स्तर :**

ऐसे सभी संवेदनशील, आपत्तिजनक एवं महत्वपूर्ण रूझान (Trends) जोनल पुलिस महानिरीक्षक के संज्ञान में लाये जायेंगे, जो उनके जोन अथवा जोन के बाहर भी किसी जनपद को कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रभावित कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में पुलिस महानिरीक्षक जोन अन्य जोन के पुलिस महानिरीक्षकों को अवगत कराते हुए अपने जोन में आवश्यक पुलिस प्रबंध सुनिश्चित करायेंगे। साथ ही प्रदेश के नोडल अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक, कानून-व्यवस्था, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचित करेंगे।

4) **पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के मुख्यालय स्तर :**

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के मुख्यालय स्तर पर पुलिस महानिरीक्षक, कानून-व्यवस्था SMCRC एवं Social Media से संबंधित सभी सूचनाओं एवं कार्यवाही के संबंध में नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। साथ ही वे संवेदनशील मामलों को आवश्यकतानुसार ATS, STF, अभिसूचना (Intelligence) विभाग आदि को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगे।

WhatsApp Surveillance Centre (वाट्सएप सर्विलांस केन्द्र) :-

उक्त के अतिरिक्त तकनीकी सेवाएं मुख्यालय द्वारा **"वाट्सएप सर्विलांस केन्द्र"** भी संचालित किया जा रहा है, जिसका CUG NO-9454401002 है। इस नम्बर पर कोई भी व्यक्ति ऐसे विवादित/आपत्तिजनक Posts/Messages भेज सकता है, जो Social Media पर प्रचलित हों एवं जिन पर पुलिस कार्यवाही अपेक्षित हो। उनके द्वारा Messages का विश्लेषण कर इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करायी जा सकती है।

प्रत्येक जिले/परिक्षेत्र/जोन स्तर के 02-02 पुलिस कर्मियों को Social Media के संबंध में विस्तृत Training प्रदान करने की व्यवस्था शीघ्र की जा रही है।

मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि उक्त निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन करके कार्यशाला के माध्यम से समस्त अधीनस्थों को भी अवगत कराऐं। यह सुनिश्चित किया जाए कि इंटरनेट के माध्यम से समाज में साम्प्रदायिकता, आपत्तिजनक एवं भ्रामक सूचना फैलाने वालों के विरूद्ध त्वरित वैधानिक कार्यवाही हो सके एवं समाज विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए समय से नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।

सभी उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

9.1.16

(जावीद अहमद)

समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।
समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (नाम से)
जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ.प्र.।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं, उ.प्र.।
3. पुलिस महानिरीक्षक, ए.टी.एस., उ.प्र.।
4. समस्त राजपत्रित अधिकारी, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ.प्र.।

संलग्नक–'क'

उत्तर प्रदेश के समस्त परिक्षेत्रों, यातायात निदेशालय एवं मेरठ परिक्षेत्र के समस्त 06 जनपदों के लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड

Traffic Directorate

Sl.no.	Loging ID	Password
1	trafficup@aasma.com	trafficup

Login ID of all Ranges

Sl.no.	Loging ID	Password
1	agrarange@aasma.com	agrarange
2	aligarhrange@aasma.com	aligarhrange
3	allahabadrange@aasma.com	allahabadrange
4	chitrakootdhamrange@aasma.com	chitrakootdhamrange
5	moradabadrange@aasma.com	moradabadrange
6	bareillyrange@aasma.com	bareillyrange
7	devipatanrange@aasma.com	devipatanrange
8	bastirange@aasma.com	bastirange
9	gorakhpurrange@aasma.com	gorakhpurrange
10	kanpurrange@aasma.com	kanpurrange
11	jhansirange@aasma.com	jhansirange
12	lucknowrange@aasma.com	lucknowrange
13	faizabadrange@aasma.com	faizabadrange
14	saharanpurrange@aasma.com	saharanpurrange
15	azamgarhrange@aasma.com	azamgarhrange
16	varanasirange@aasma.com	varanasirange
17	mirzapurrange@aasma.com	mirzapurrange

Distt of Meerut Range

Sl.no.	Loging ID	Password
1	disttmeerut@aasma.com	disttmeerut
2	distthapur@aasma.com	distthapur
3	disttghaziabad@aasma.com	disttghaziabad
4	disttbaghpat@aasma.com	disttbaghpat
5	disttgoutambuddhanagar@aasma.com	disttgoutambuddhanagar
6	disttbulandshahr@aasma.com	disttbulandshahr